प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

दांडिक अपील क्रमांक 980/2011

1. रसीदा बेगम पति मदु मियां उर्फ मजुबुद्दीन मियां,
   उम्र लगभग 53 वर्ष, व्यवसाय गृहणी

2. नूरताज पुत्र मनुवर मुसलमान, उम्र लगभग 22 वर्ष
   दोनो निवासी ग्राम इदरीकला, थाना चांदो,
   जिला सरगुजा (छ०ग०) **.........अपीलार्थीगण**

//विरूद्ध//

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ़ राज्य,
द्वारा पुलिस स्टेशन शंकरगढ़,
जिला सरगुजा (छ०ग०) **............... उत्तरवादी**

अपीलार्थीगण की ओर से सुश्री सलोनी वर्मा, अधिवक्ता।

उत्तरवादी राज्य की ओर से श्री सुदीप वर्मा, उपशासकीय अधिवक्ता।

दांडिक अपील क्रमांक -1954/2017

1. मदु मियां उर्फ मजुबुद्दीन मियां पिता मुरादान मुसलमान
   उम्र लगभग 60 वर्ष, निवासी ग्राम इदरीकला, थाना चांदो,
   जिला बलरामपुर-रामानुजगंज (छ०ग०)

.........अपीलार्थी

//विरूद्ध//

छत्तीसगढ़ राज्य,
द्वारा पुलिस स्टेशन, चांदो,
जिला बलरामपुर-रामानुजगंज (छ०ग०) .... **उत्तरवादी**

अपीलार्थी की ओर से श्री शैलेन्द्र शर्मा, अधिवक्ता ।
उत्तरवादी राज्य की ओर से सुश्री रूचि नागर, उपशासकीय अधिवक्ता ।

माननीय श्री न्यायमूर्ति संजय के. अग्रवाल
माननीय श्री न्यायमूर्ति राकेश मोहन पाण्डेय
बोर्ड पर आदेश
12/12/2022

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय श्री न्यायमूर्ति संजय के. अग्रवाल

1/ अपील क्रमांक 980/2011 दो अपीलार्थीगण/अभियुक्ता रशीदा बेगम (अपीलार्थी क्र० 1) एवं नूरताज (अपीलार्थी क्र० 2) द्वारा विद्वान विशेष न्यायाधीश, अंबिकापुर के विशेष दांडिक प्रकरण (एट्रोसिटीज) क्रमांक 93/2008 निर्णय दिनांक 26/08/2011 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें उन्हें धारा 3(2)(5) अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 सहपठित धारा 302/34 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दोषसिद्ध कर आजीवन कारावास की सजा और रुपये 5,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है, अर्थदण्ड की राशि अदा नहीं करने पर 06 माह का सश्रम कारावास भी भुगताये जाने का आदेश दिया गया है ।

2/ दाण्डिक अपील क्रमांक 1954/2017 अपीलार्थी मदु मियां द्वारा प्रस्तुत की गयी है, जिसमें अपीलार्थी ने विद्वान विशेष न्यायाधीश, सरगुजा (अंबिकापुर) के विशेष दांडिक प्रकरण (एट्रोसिटीज) क्रमांक 93/2008 में घोषित निर्णय दिनांक 21/11/2017 को चुनौती दी गयी है, [चूंकि यह अभियुक्त, अपीलार्थी रसीदा बेगम (अपीलार्थी क्र० 1) एवं नूरताज (अपीलार्थी क्र० 2) विचारण और निर्णय की अवधि में फरार था] जिसमें अपीलार्थी मदु मियां को धारा 302/34 भारतीय दण्ड संहिता के तहत आजीवन कारावास एवं रुपये 5,000/- के अर्थदण्ड से और अर्थदण्ड की राशि अदा नहीं करने पर 01 साल का सश्रम कारावास, धारा 201/34 भारतीय दण्ड संहिता के तहत 05 साल के सश्रम कारावास एवं रुपये 2,000/- के अर्थदण्ड से और अर्थदण्ड की राशि अदा नहीं करने पर 06 माह के सश्रम कारावास से दण्डित किया गया है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3/ चूंकि, दोनों अपीलों में विधि एवं तथ्यों का समान प्रश्न शामिल है, इसलिए दोनों को संयोजित किया गया है और एक साथ श्रवण कर एक साथ इस निर्णय के माध्यम से निराकृत किया जा रहा है । यहाँ यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि विचारण न्यायालय के समक्ष रसीदा बेगम (अपीलार्थी क्र० 1) एवं नूरताज (अपीलार्थी क्र० 2) का विचारण तथा मदु मियां (अपीलार्थी क्र० 3) का विचारण पृथक-पृथक होने के कारण कुछ दस्तावेज अलग-अलग प्रदर्शांकित हुए हैं, इसलिए इस निर्णय में हमारे द्वारा अपील क्रमांक 980/2011, जो रसीदा बेगम (अपीलार्थी क्र० 1) तथा नूरताज (अपीलार्थी क्र० 2) द्वारा प्रस्तुत पेपर बुक है, में प्रदर्शांकित दस्तावेजों का उल्लेख किया जावेगा ।

<u>अभियोजन का प्रकरण</u> -

4/ संक्षेप में अभियोजन का कथानक इस प्रकार है कि तीनों अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण ने अपने सामान्य आशय के अग्रसरण में संजीवन उरांव को जहर देहर उसकी मृत्यु कारित की और यह जानकारी रखते हुए कि वह अनुसूचित जनजाति वर्ग का सदस्य है, उन्होंने इस कृत्य को कारित किया ।

5/ अभिलेख पर यह स्वीकृत है कि रसीदा बेगम (अपीलार्थी क्र० 1), मदु मियां (अपीलार्थी क्र० 3) की पत्नी है एवं नूरताज (अपीलार्थी क्र० 2) उनका पोता है । आगे अभियोजन का प्रकरण यह रहा है कि मृतक संजीवन उरांव ग्राम गिंजईपारा, चांदो का निवासी था, वह मदु मियां के इदरीकला, थाना चांदो स्थित मकान में रहकर उनका घरेलू काम करता था । अन्वेषण में यह प्रकट हुआ कि अपराध क्रमांक 11/2008 थाना चांदो में पंजीबद्ध हुआ, जिसमें मदु मियां (अपीलार्थी क्र० 3) ने अपने पुत्र मुर्तजा अंसारी और पोते नूरताज (अपीलार्थी क्र० 2) तथा दो अन्य सहअभियुक्त, जिनका नाम मुबारक अंसारी और अयूब खान के साथ मिलकर राशि 2,00,000/- रुपये, बंकिम मण्डल नामक व्यक्ति की दुकान से लूटा और इसके पश्चात् बंकिम मण्डल की हत्या कर दी, जिसकी जानकारी मृतक संजीवन उरांव को हो गयी थी । अन्वेषण के दौरान पुलिस ने मृतक संजीवन उरांव को जाँच के लिए आहूत करने के लिए समंस जारी किया था और इस आशंका के कारण कि मृतक संजीवन उरांव पुलिस के समक्ष उपरोक्त जानकारी प्रकट करेगा, दिनांक 23/08/2008 की शाम को अपीलार्थी/अभियुक्त मदु मियां (अपीलार्थी क्र० 3), संजीवन उरांव को उसके घर तक छोड़ने गया, जहाँ पहुंच कर संजीवन उरांव को चक्कर आने लगा और वह अपनी माँ सुशीला तिर्की (अभियोजन साक्षी क्रमांक 1) और भाई अरुण तिर्की (अभियोजन साक्षी क्रमांक 2) को जानकारी दिया कि मदु मियां (अपीलार्थी क्र० 3) ने उसके खाने में जहर मिलाकर उसे दिया है, जिसके सेवन के कारण मृतक को चक्कर आ रहे हैं । तत्पश्चात् संजीवन

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उरांव की मौत हो गयी और पुलिस स्टेशन को सूचना दिये जाने पर मर्ग इंटीमेशन प्रदर्श पी 2 दर्ज किया गया । तत्पश्चात् धारा 175 दण्ड प्रक्रिया संहिता की नोटिस प्रदर्श पी 3 के माध्यम से गवाहों को आहूत किया गया और शव पंचनामा प्रदर्श पी 23 तैयार करने के पश्चात् मृतक संजीवन उरांव के शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया । मृतक का पोस्टमार्टम डॉ० प्रमोद कुमार सिन्हा (अभियोजन साक्षी क्र० 13) द्वारा किया गया और रसीदा बेगम (अपीलार्थी क्रमांक 1) का मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी 15 लेखबद्ध किया गया, जिससे प्रकट हुआ कि 100 ग्राम वॉयल इण्डोसल्फॅान, जिसमें 20 ग्राम शेष बचा हुआ है, को मदु मियां (अपीलार्थी क्र० 3) के घर से जप्तीपत्रक प्रदर्श पी 16 के अनुसार जप्त कर एफ० एस० एल० परीक्षण के लिए भेजा गया और एफ० एस० एल० रिपोर्ट प्रदर्श पी 13 के अनुसार इण्डोसल्फॉन नामक विषैला पदार्थ प्रदर्श पी 16 के अनुसार जप्त वॉयल और मृतक के बिसरा में मौजूद पाया गया । उपरोक्त अन्वेषण के आधार पर अपराध क्रमांक 14/2008 अन्तर्गत धारा 302/34, 201/34 भारतीय दण्ड संहिता के तहत अपीलार्थीगण/ अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना चांदो (बलरामपुर) में दर्ज किया गया । अपीलार्थीगण/ अभियुक्तगण रसीदा बेगम (अपीलार्थी क्र० 1) और नूरताज (अपीलार्थी क्र० 2) को गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी 18 एवं प्रदर्श पी 20 के अनुसार गिरफ्तार किया गया । हालांकि मदु मियां (अपीलार्थी क्र० 3) फरार हो गया, जिसका फरारी पंचनामा प्रदर्श पी 18 तैयार किया गया और अन्वेषण उपरान्त रसीदा बेगम (अपीलार्थी क्र० 1) और नूरताज (अपीलार्थी क्र० 2) के विरुद्ध अभियोगपत्र अन्तर्गत धारा 3(2)(5) अनुसूचित जाति/ जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम सहपठित धाारा 302/34 भारतीय दण्ड संहिता प्रस्तुत किया गया, जिसमें विशेष न्यायाधीश को विधि अनुसार उपार्पित किये जाने के उपरान्त दोनों अपीलार्थीगण रसीदा बेगम एवं नूरताज के विरुद्ध विचारण किया गया ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6/ अभियोजन की ओर से 13 साक्षियों एवं 23 प्रदर्शांकित दस्तावेजों को प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण का धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत अभियुक्त कथन लेखबद्ध किया गया, जिसमें उन्होंने अपराध को अस्वीकार किया और प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया।

7/ विद्वान विशेष न्यायाधीश ने अभियोजन के दस्तावेज एवं मौखिक साक्ष्यों के विवेचन के उपरान्त निर्णय दिनांक 26/08/2011 द्वारा दोनों अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण रसीदा बेगम (अपीलार्थी क्र० 1) और नूरताज (अपीलार्थी क्र० 2) को धारा 3(2)(5) अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम सहपठित धारा 302/34 भारतीय दण्ड संहिता के तहत उपरोक्तानुसार दोषसिद्ध कर दण्डित किया गया, जिसके विरुद्ध यह दाण्डिक अपील क्रमांक 980/2011 प्रस्तुत की गयी है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8/ अपीलार्थी/अभियुक्त मदु मियां (अपीलार्थी क्र० 2) को दिनांक 23/06/2017 को गिरफ्तार किया गया और अन्वेषण के दौरान अभियोजन साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये जाने उपरान्त उसके विरुद्ध धारा 302/34, 201/34 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 3(2)(5) अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अभियोगपत्र पेश किया गया, जिसमें विधि अनुसार उपार्पण किये जाने के उपरान्त विशेष न्यायाधीश को विचारण हेतु प्राप्त हुआ, विचारण के दौरान विधि के अनुक्रम में पृथक से विचारण करते हुए अभियोजन के 12 साक्षियों एवं 18 प्रदर्शांकित दस्तावेजों को प्रस्तुत किया गया, जबकि प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य/दस्तावेज पेश नहीं किया गया।

9/ निर्णय दिनांक 21/11/2017 द्वारा विद्वान विशेष न्यायाधीश ने अपीलार्थी/अभियुक्त मदु मियां (अपीलार्थी क्र० 3) को धारा 302/34 एवं

201/34 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दोषसिद्ध करते हुए उपरोक्त वर्णित अनुसार दण्डित किया, जिसके विरुद्ध यह दाण्डिक अपील क्रमांक 954/2017 उसके द्वारा प्रस्तुत की गयी है ।

<u>पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तर्क</u> –

10/ सुश्री सलोनी वर्मा, जो अपील क्रमांक 980/2011 के दोनों अपलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता हैं और श्री शैलेन्द्र शर्मा, जो अपील क्रमांक 1954/2017 मदु मियां (अपीलार्थी क्र० 3) की ओर से उपस्थित अधिवक्ता हैं, यह तर्क प्रस्तुत करते हैं कि जहाँ तक रसीदा बेगम (अपीलार्थी क्र० 1) का सम्बन्ध है, के विरुद्ध मात्र यह अभियोजन साक्ष्य है कि उसका मेमोरण्डम कथन (प्रदर्श पी 15) लेखबद्ध किया गया है, जिसके आधार पर एक गिलास वॉयल, जिसमें 20 ग्राम इण्डो सल्फॉन नामक विषैला पदार्थ था, को जप्तीपत्रक प्रदर्श पी 16 के अनुसार जप्त किया गया । इसके अतिरिक्त कोई भी संलिप्त करने वाले ऐसे साक्ष्य अभियोजन ने अपीलार्थी रसीदा बेगम के विरुद्ध प्रस्तुत नहीं किया है । इसी प्रकार, अपीलार्थी नूरताज (अपीलार्थी क्र० 2) का न तो मेमोरण्डम कथन लेखबद्ध किया गया है और न ही कोई जप्ती अपीलार्थी क्रमांक 02 नूरताज के मेमोरण्डम के आधार पर की गयी है, उसे मात्र अपराध क्रमांक 11/2008, जो लूट और हत्या से संबंधित था, जिसमें वह अभियुक्त था, के कारण इस प्रकरण में भी संलिप्त किया गया है । अभिभाषकगण यह भी तर्क प्रस्तुत करते हैं कि मदु मियां (अपीलार्थी क्र० 3) का जहाँ तक सम्बन्ध है, उसके विरुद्ध अभियोजन पक्ष विधि द्वारा स्वीकृत कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका है और विद्वान विशेष न्यायालय ने पूरी तरह से साक्ष्य को अनदेखा करते हुए उसे दोषसिद्ध किया है, अतः अपीलार्थीगण की दोषसिद्धि एवं दण्डादेश अपास्त किये जाने योग्य है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11/ उपरोक्त के विरुद्ध श्री सुदीप वर्मा, विद्वान उपशासकीय अभिभाषक ने तर्क प्रस्तुत किया है कि अभियुक्तगण का हेतुक स्पष्ट रुप से प्रमाणित हुआ है और नूरताज (अपीलार्थी क्रमांक 02) और मदु मियां(अपीलार्थी क्रमांक 03) दोनों डकैती और बंकिम मण्डल की हत्या के प्रकरण अपराध क्रमांक 11/2008 अंतर्गत धारा 364, 394, 397, 302, 120(बी)/34 भारतीय दण्ड संहिता से संबंधित है और संजीवन उरांव, चूंकि उनके घर में रहकर उनका घरेलू काम करता था और उसे इसकी जानकारी थी कि नूरताज (अपीलार्थी क्रमांक 02) और मदु मियां (अपीलार्थी क्रमांक 03) ने उपरोक्त डकैती एवं हत्या का कृत्य कारित किया है और संजीवन उरांव को पुलिस ने जाँच के लिए समंस प्रेषित किया था, नूरताज (अपीलार्थी क्रमांक 02) और मदु मियां (अपीलार्थी क्रमांक 03) को यह भय था कि मृतक संजीवन उरांव पुलिस के समक्ष उनके विरुद्ध बयान देगा जिस कारण उनके द्वारा संजीवन को जहर पिलाया गया है और मदु मियां (अपीलार्थी क्रमांक 03) ने संजीवन उरांव को उसके घर तक पहुंचाया, जहाँ संजीवन उरांव की मृत्यु हो गयी । श्री सुदीप वर्मा यह तर्क भी प्रस्तुत करते हैं कि अभियोजन ने रसीदा बेगम (अपीलार्थी क्रमांक 01) के विरुद्ध मामले को युक्तियुक्त सन्देह से परे प्रमाणित किया है, क्योंकि उसके मेमोरण्डम कथन प्रदर्श पी 15 के आधार पर जप्तीपत्रक प्रदर्श पी 16 के अनुसार 20 ग्राम वॉयल इण्डो सल्फॉन जप्त हुआ है । उक्त वॉयल और मृतक का बिसरा एफ० एस० एल० हेतु भेजा गया, एफ० एस० एल रिपोर्ट प्रदर्श पी 13 के अनुसार विषैला पदार्थ इण्डो सल्फॉन दोनों ही आर्टिकल में मौजूद पाया गया, अतः दोनों ही अपीलें स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण निरस्त की जावे ।

12/ हमने उभय पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान अभिभाषकगण के तर्क श्रवण किया और उनके द्वारा प्रस्तुत तर्क पर विचार किया तथा अभिलेख पर विद्यमान परिस्थितियों पर विचार किया ।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>विचारणीय बिन्दु–</u>

13/ दोनों अपीलों के निराकरण हेतु निम्नलिखित दो विचारणीय बिन्दु उत्पन्न होते हैं–

1. क्या मृतक संजीवन उरांव की मृत्यु उसे जहर दिये जाने के कारण हुई थी?
2. क्या मृतक को उपरोक्त जहर अपीलार्थीगण ने देकर उसकी मृत्यु कारित की?

<u>प्रश्न क्रमांक 01</u>

14/ मृतक संजीवन उरांव का शव पंचनामा तैयार किये जाने के उपरान्त डॉ० प्रमोद कुमार सिन्हा (अभियोजन साक्षी क्र० 13) द्वारा पोस्टमार्टम किया गया है और उनके द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी 23 विचारण न्यायालय के समक्ष प्रमाणित की गयी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि मृतक के परीक्षण उपरान्त प्रदर्श पी 23 में उन्होंने यह उल्लेख किया है कि मृतक के शरीर पर कोई भी बाहरी चोट दृश्यमान नहीं थी। शरीर में हल्की अकड़न पाई गयी थी और मृतक के नाक, मुँह से खून का स्राव हो रहा था। हालांकि, चिकित्सक साक्षी ने मृत्यु के कारण और प्रकृति के बारे में कोई अभिमत नहीं दिया था परन्तु उन्होंने मृतक के शरीर से बिसरा एकत्र कर सीलबंद कर एफ० एस० एल० परीक्षण हेतु भेजे जाने की सलाह दी थी। एफ० एस० एल० रिपोर्ट प्रदर्श पी 13 के अनुसार मृतक के बिसरा, जिसे आर्टिकल बी–1 और बी–2 मार्क किया गया है, में विषैला पदार्थ इण्डोसल्फॉन मौजूद होना पाया गया था, अतः एफ० एस० एल० रिपोर्ट के आधार पर यह प्रमाणित हुआ हैं कि मृतक संजीवन उरांव की मृत्यु उसे जहरीला पदार्थ इण्डोसल्फॉन दिये जाने के कारण हुई थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रश्न क्रमांक 02

15/ इस प्रश्न के उत्तर तक पहुंचने के लिए हम दोनों ही अपीलों के सम्बन्ध में पृथक-पृथक विचार कर रहे हैं । हालांकि यहाँ यह सुसंगत है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्याय दृष्टान्तों के अनुसार जहर देकर हत्या करने के मामले मे निम्नलिखित सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं-

16/ **अनंत चिन्तामन लागू विरुद्ध बाम्बे राज्य, ए० आईआर० 1960 सुप्रीम कोर्ट-500** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्तिगण ने जहर देकर हत्या कारित किये जाने के प्रकरणों में सिद्धान्त प्रतिपादित किये हैं, जिसके अनुसार अभियोजन को यह स्थापित करना आवश्यक है कि अभियुक्तगण के आधिपत्य में जहर था और उनके पास यह अवसर उपलब्ध था कि वे मृतक को जहर देकर हत्या कारित किये । उपरोक्त के सम्बन्ध में माननीय न्यायमूर्तिगण द्वारा निम्नानुसार अवधारित किया गया है-

> "जहर द्वारा हत्या के मामले में अभियोजन को यह प्रमाणित करना आवश्यक है कि-(A) मृत्यु जहर के कारण हुई (B) अभियुक्त के आधिपत्य में जहर था, (C) अभियुक्त के पास यह अवसर था कि वह मृतक को जहर दे सके । यह तीनों बिन्दु ध्यान में रखा जाना आवश्यक है और प्रत्यक्ष तथा परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर जहर द्वारा हत्या के मामले में परिस्थितियाँ प्रत्येक मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों पर निर्भर करेंगी, यदि किसी प्रकरण के साक्ष्य यह प्रमाणित नहीं कर पाते हैं कि मृतक की मृत्यु जहर देने के कारण हुई है तो, अभियोजन का मामला प्रमाणित नहीं हो सकेगा और सन्देह का लाभ अभियुक्त को दिया जाना चाहिए, लेकिन यदि परिस्थितिजन्य साक्ष्य, जिसमें प्रत्यक्ष साक्ष्य का अभाव हो, के द्वारा उपरोक्त तीनों बिन्दु प्रमाणित पाया जाता है तो न्यायालय अभियुक्त को दोषसिद्ध कर सकता है ।

17/ इसके पश्चात् **"शरद विरदी चन्द्र शारदा विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य"** (1988)3 एस० सी० सी० 513, जो सायनाइड पाइजनिंग का प्रकरण था, जिसमें मृतक के पति ने हत्या का प्रयत्न किया था । इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्तिगण ने यह विचार दिया कि न्यायालय को साक्ष्य का विवेचन सावधानीपूर्वक करना चाहिए और निम्नलिखित चार परिस्थितियाँ पैराग्राफ क्रमांक 165 में निर्धारित की है–

> "165 जहाँ तक, इस प्रकरण का सम्बन्ध है, ऐसे प्रकरणों में न्यायालय को ध्यानपूर्वक साक्ष्य का मूल्यांकन करना चाहिए और चार महत्वपूर्ण परिस्थितियाँ दोषसिद्धि के लिए निर्धारित की जानी चाहिए–
>
> 1. अभियुक्त का स्पष्ट हेतुक मृतक का जहर दिये जाने का होना चाहिए ।
> 2. मृतक की मृत्यु उक्त जहर के परिणामस्वरुप होनी चाहिए ।
> 3. अभियुक्त के आधिपत्य में उपरोक्त जहर होना चाहिए ।
> 4. अभियुक्त के पास यह अवसर था कि वह मृतक को जहर दे सके।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18/ माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त विधिक सिद्धान्त **"अनन्त चिन्तामन लागू"** (उपरोक्त) एवं **शरद विरदीचन्द्र शारदा** (उपरोक्त) में अभिलिखिसत किये गये थे, जिन्हें भूपिन्दर सिंह विरुद्ध पंजाब राज्य (1988)3 एस० सी० सी० 513 में लागू किया गया, जिसमें यह अवधारित किया गया कि यदि अभियोजन यह प्रमाणित कर पाने में असफल रहता है कि जहर अभियुक्त के आधिपत्य में नहीं था, तब भी यह उतना घातक नहीं होगा, यदि अभियोजन स्पष्ट रुप से यह प्रमाणित कर देता है कि मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित था, इस सम्बन्ध में पैराग्राफ क्रमाक 26 एवं 27 अवलोकनीय है ।

"26. ज़हर से हत्या के मामलों को परिस्थितिजन्य साक्ष्य के नियम से बाहर नहीं रखा जाना चाहिए। ऐसे बहुत से तथ्य और परिस्थितियाँ हो सकती हैं, जिनसे न्यायालय को यह अनुज्ञेय निष्कर्ष निकालने में न्यायोचित ठहराया जा सकता है कि अभियुक्त के पास प्रश्नगत ज़हर था। अभियुक्त के विरुद्ध साबित किए गए बहुत से तथ्य और परिस्थितियाँ हो सकती हैं, जिससे अभियुक्त के पास ज़हर होने के तथ्य की मौन धारणा की आवश्यकता हो सकती है। अभियुक्त के कब्जे से ज़हर होने के सबूत पर हर मामले में जोर देना न तो वांछनीय है और न ही व्यवहारिक, इसका मतलब होगा ज़हर देकर हत्या के अपराध में एक बाहरी तत्व को शामिल करना। इसलिए, हम अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्क को स्वीकार नहीं कर सकते। ज़हर देकर हत्या के मामले में अभियुक्त को अन्य प्रकार की हत्याओं की तुलना में मापदण्डों से छूट मिलने का बेहतर मौका नहीं मिल सकता। ज़हर देकर हत्या किसी भी अन्य हत्या की तरह की जाती है। ऐसे मामलों में जहाँ निर्भरता पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर है, और प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध नहीं होने पर, न्यायालय परिस्थितियों से किसी भी मामले पर एक तरह से या किसी भी अन्य तरह से निष्कर्ष निकाल सकता है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

27. हमारे द्वारा लिया गया दृष्टिकोण इस न्यायालय के अनंत चिंतामन लागु बनाम द स्टेट ऑफ बॉम्बे, ए.आई.आर. 1960 एस.सी. 500 के निर्णय से समर्थित है, जहां जस्टिस हिदायतुल्लाह ने धर्मबीर सिंह मामले में निर्धारित तीन परिस्थितियों पर गहन विचार किया है। विद्वान न्यायाधीश ने उन्हें जहर देकर हत्या के हर मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा स्थापित किए जाने वाले सबूत के अपरिवर्तनीय मानदंड के रूप में नहीं माना। विद्वान न्यायाधीश ने कहा (पृष्ठ 519-520 पर):

"अब उन तर्कों पर विचार करना आवश्यक है जो अपीलार्थी की ओर से पेश किए गए हैं। पहला तर्क यह है कि जहर देकर हत्या के सभी मामलों में साबित किए जाने वाले आवश्यक तत्व इस मामले में अभियोजन द्वारा प्रमाणित नहीं किए गए। इस संबंध में माउंट गजरानी बनाम सम्राट, एआईआर 1933 इलाहाबाद 394 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक निर्णय और चंद्रकांत एन न्यालचंद सेठ बनाम बॉम्बे राज्य, आपराधिक अपील संख्या 120/1957 में इस न्यायालय के दो अप्रकाशित निर्णयों का संदर्भ दिया गया है, जो 19 फरवरी, 1958 को तय किए गए थे और धर्मबीर सिंह बनाम पंजाब राज्य, आपराधिक अपील संख्या 98/1958, 4.11.1958 को तय हुई। इन मामलों में, न्यायालय ने तीन परिस्थितियों का उल्लेख किया, जिन्हें अभियोजन पक्ष को जहर देकर हत्या के मामले में स्थापित करना चाहिए; (क) कि मौत जहर से हुई; (ख) कि अभियुक्त के पास जहर था, और (ग) कि अभियुक्त को मृतक को जहर देने का अवसर मिला था। धर्मबीर सिंह बनाम पंजाब राज्य का मामला इन तीन परिस्थितियों पर आधारित था। मृतक की मृत्यु पोटेशियम साइनाइड जहर के सेवन के परिणामस्वरूप हुई थी, जिसमे न्यायालय ने उन सबूतों पर विश्वास नहीं किया जो यह स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे कि अभियुक्त ने पोटेशियम साइनाइड प्राप्त किया था, लेकिन फिर भी यह माना कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य उस मामले में अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त थे। हालाँकि, इस न्यायालय ने परिस्थितिजन्य साक्ष्य को पूर्ण नहीं माना। यह देखा जाना चाहिए कि तीनों परिस्थितियों में ज़हर देकर हत्या के मामले में प्रत्यक्ष साक्ष्य द्वारा

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

साबित करने के अपरिवर्तनीय मानदंड के रूप में नहीं रखे गए थे, क्योंकि स्पष्ट रूप से अगर पीड़ित को ज़हर देने के बाद, अभियुक्त ने शरीर के सभी निशान मिटा दिए, तो परिस्थितिजन्य साक्ष्य के अलावा पहली परिस्थिति साबित नहीं हो पाएगी । इसी प्रकार अगर अभियुक्त ने पीड़ित को कुछ खाने को दिया और ज़हर के लक्षणों के साथ पीड़ित की तुरंत मृत्यु हो गई और वास्तव में, ज़हर विसरा में पाया गया, तो यह साबित करने की आवश्यकता कि अभियुक्त के पास ज़हर था, उन परिस्थितियों से उत्पन्न होगी कि अभियुक्त ने पीड़ित को कुछ खाने को दिया था और इसे अलग से साबित करने की आवश्यकता नहीं है।"

विद्वान न्यायाधीश ने आगे कहा:

"इस न्यायालय द्वारा इन मामलों का निर्णय उनके अपने तथ्यों के आधार पर किया गया है, यद्यपि तीनों परिस्थितियों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, फिर भी जहर देकर हत्या को स्थापित करने के लिए प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य की पर्याप्तता प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगी। यदि किसी विशेष मामले में साक्ष्य इस निष्कर्ष को उचित नहीं ठहराते हैं कि मृत्यु जहर के कारण हुई है, और अभियोजन पक्ष प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा तथ्य को संतोषजनक ढंग से साबित करने में विफल रहा है, तो संदेह का लाभ अभियुक्त व्यक्ति को दिया जाना चाहिए। लेकिन यदि परिस्थितिजन्य साक्ष्य, तीनों तत्वों के प्रत्यक्ष साक्ष्य के अभाव में, इतना निर्णायक है कि न्यायालय बिना किसी हिचकिचाहट के यह मान सकता है कि मृत्यु जहर दिए जाने के कारण हुई थी (यद्यपि इसका पता नहीं चला) तथा जहर

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अभियुक्त व्यक्ति द्वारा ही दिया गया होगा, तो दोषसिद्धि उसके आधार पर की जा सकती है।"

दाण्डिक अपील क्रमांक 1954/2017

19/ अब, हम अपीलार्थी मदु मियां (अपीलार्थी क्रमांक 03) द्वारा प्रस्तुत अपील पर उपरोक्त विधिक सिद्धान्तों के आलोक में विचार कर रहे हैं, जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्तिगण द्वारा **"अनंत चिन्तामन लागू"** (उपरोक्त) एवं **"शरद विरदी चन्द्र शारदा"** (उपरोक्त) के प्रकरण में प्रतिपादित किया गया था कि क्या उपरोक्त चार परिस्थितियाँ अभियोजन द्वारा स्थापित की गयी है–

(I) **क्या मृतक को जहर देकर मारने का स्पष्ट हेतुक अभियुक्त के पास था?**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20/ यह स्वीकृत स्थिति अभिलेख पर है कि मृतक संजीवन उरांव घरेलू काम करने के लिए मदु मियां (अपीलार्थी क्रमांक 03) के घर में रहकर मदु मियां (अपीलार्थी क्रमांक 03) के पशुओं की देखभाल करता था और उसके यहाँ खाना खाता था और सो जाता था । यह स्थिति भी अभिलेख पर विद्यमान है कि इस घटना के पूर्व अपराध क्रमांक 11/2008 थाना चांदो में पंजीबद्ध हुआ था, जिसमें नूरताज (अपीलार्थी क्रमांक 02) ने मदु मियां (अपीलार्थी क्रमांक 03) के साथ तीन अन्य सह अभियुक्त ने मिलकर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 364, 394, 397, 302, 120 बी/34 के तहत दो लाख रुपये की डकैती बंकिम मण्डल की दुकान से की थी और इसके पश्चात् बंकिम मण्डल हत्या कर दी थी ।

21/ अभियोजन के मामले के अनसार चूंकि मृतक अपीलार्थीगण मदु मिंया (अपीलार्थी क्रमांक 03) के घर पर रहता था और उसे डकैती वाले मामले की जानकारी थी तथा पुलिस ने जाँच के लिए उसे समंस जारी किया

था, इसलिए चूंकि नूरताज (अपीलार्थी क्रमांक 02) और मदु मियां (अपीलार्थी क्रमांक 03) को यह आशंका थी कि मृतक उनके विरुद्ध पुलिस के समक्ष बयान दे सकता है और इस कारण मदु मियां (अपीलार्थी क्रमांक 03) ने मृतक के खाने में जहर मिलाकर दिया तथा उसे तत्काल पश्चात् अपने घर से मृतक के घर पहुंचाया, जहाँ मृतक की मृत्यु हो गयी ।

22/ अपीलार्थी/अभियुक्त मदु मियां (अपीलार्थी क्रमांक 03) के विरुद्ध वाले प्रकरण में यद्यपि मृतक की माँ सुशीला तिर्की (अभियोजन साक्षी 01) पक्षद्रोही हो गयी है, परन्तु अरुण तिर्की (अभियोजन साक्षी क्रमांक 2), जो मृतक का भाई है, ने अभियोजन कथानक का समर्थन किया है और विचारण न्यायालय के समक्ष यह बताया है कि घटना की रात्रि मृतक अपने घर में आया था और यह सूचना उसे दी थी कि मदु मियां (अपीलार्थी क्रमांक 03) ने मृतक को इस कारण से जहर दिया है कि मदु मियां (अपीलार्थी क्रमांक 03) द्वारा बंकिम मण्डल की हत्या की गयी है, जिसे मृतक किसी अन्य को न बता दे । इसके तत्काल पश्चात् साक्षी ने चिकित्सक को बुलाने का प्रयास किया, परन्तु तब तक संजीवन उरांव की मृत्यु हो चुकी थी । अरुण तिर्की (अभियोजन साक्षी क्रमांक 2) का साक्ष्य प्रतिपरीक्षण मे अखण्डित रहा है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

23/ अभिलेख पर विद्यमान साक्ष्य के अवलोकन से हमारा यह सुविचारित मत है कि मदु मियां (अपीलार्थी क्रमांक 03) के सम्बन्ध में मृतक को जहर देने के लिए हेतुक को अभियोजन ने पूर्णतः स्थापित किया है ।

(II) क्या मृतक की मृत्यु जहर सेवन से हुई थी?

24/ हमने उपरोक्तानुसार पूर्व में यह सकारात्मक मत दिया है कि मृतक की मृत्यु जहर के सेवन से हुई थी, जो एफ० एस० एल० रिपोर्ट प्रदर्श पी 13 से यह प्रमाणित है कि मृतक के शरीर से लिये गये बिसरा नमूना में इण्डो सल्फॉन नामक विषैला पदार्थ पाया गया ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(III) **<u>क्या अभियुक्त के आधिपत्य में जहर पाया गया</u>?**

25/ जहाँ तक, मदु मियां (अपीलार्थी क्रमांक 03) का सम्बन्ध है, न ही उसका मेमोरण्डम कथन लेखबद्ध किया गया है और न ही उससे कोई जप्ती की कार्यवाही की गयी है । हालांकि उसकी पत्नी रसीदा बेगम (अपीलार्थी क्रमांक 1) के मेमोरण्डम कथन प्रदर्श पी 10 के अनुसार एक गिलास, जिसमें 20 ग्राम इण्डो सल्फॉन मौजूद था, की जप्ती कार्यवाही मदु मियां (अपीलार्थी क्रमांक 03) के मकान से जप्तीपत्रक प्रदर्श पी 11 के अनुसार किये जाने के उपरान्त एफ० एस० एल० कराया गया है और एफ० एस० एल० रिपोर्ट प्रदर्श पी 13 के अनुसार यह पाया गया है कि मृतक के शरीर का बिसरा और जप्तशुदा गिलास में विषैला पदार्थ इण्डो सल्फॉन विद्यमान था, अतः अपीलार्थी/ अभियुक्त मदु मियां (अपीलार्थी क्रमांक 03) के आधिपत्य में उक्त जहर विद्यमान होना प्रमाणित पाया जाता है । यद्यपि मेमोरण्डम और जप्ती के साक्षी जुम्मन कादरी (अभियोजन साक्षी क्र० 6) एवं सलीम अंसारी (अभियोजन साक्षी 7) पक्षद्रोही हो गये हैं और उन्होंने अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है, परन्तु अन्वेषण अधिकारी डी० डी० वैष्णव (अभियोजन साक्षी क्र० 12) ने अभियोजन कथानक को प्रमाणित किया है ।

(IV) **<u>क्या अभियुक्त के पास मृतक को जहर दिये जाने का अवसर विद्यमान था</u>?**

26/ जैसा हमने पूर्व में वर्णित किया है कि मृतक संजीवन उरांव, मदु मियां (अपीलार्थी क्रमांक 03) के घर में रहकर घरेलू काम करता था और अपीलार्थी मदु मियां (अपीलार्थी क्रमांक 03) के घर में ही खाना खाकर सोता था, मृतक के भाई अरुण तिर्की (असा० 1) ने अपने साक्ष्य में यह कथन किया है कि घटना दिनांक को जब उसका भाई घर वापस आया तो, उसने यह बताया कि मदु मियां (अपीलार्थी क्रमांक 03) ने खाने में मिलाकर जहर इस

आशंका के कारण दिया है कि मृतक पुलिस के समक्ष बंकिम मण्डल की हत्या, जो मदु मियां (अपीलार्थी क्रमांक 03) द्वारा की गयी है, की जानकारी दे देगा । प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 06 में उसने यह बताया है कि मृतक ने मदु मियां (अपीलार्थी क्रमांक 03) के घर में खाना खाया था, अतः मदु मियां (अपीलार्थी क्रमांक 03) के पास मृतक को जहर देने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध था ।

27/ उपरोक्त विधिक परिचर्चा के निष्कर्षानुसार हमारी यह सुविचारित राय है कि सभी चार परिस्थितियाँ उपरोक्तानुसार जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधिपतिगण द्वारा **"अनन्त चिंतामन लागू"** (उपरोक्त) एवं **विरदी शरदचन्द्र शारदा"** (उपरोक्त) में निर्धारित की गयी है, को वर्तमान प्रकरण में पूर्णतः संपुष्ट किया गया है और हमारे मतानुसार विद्वान विशेष न्यायाधीश ने अपीलार्थी/अभियुक्त मदु मियां (अपीलार्थी क्रमांक 03) को दोषसिद्ध करने मे कोई त्रुटि नहीं की है, अतः हम मदु मियां (अपीलार्थी क्रमांक 03) की दोषसिद्धि के निर्णय में हस्तक्षेप करने के सम्बन्ध में कोई उचित आधार नहीं पाते हैं ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>दाण्डिक अपील क्रमांक 980/2011</u>

28/ अब, हमारे द्वारा अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण रसीदा बेगम (अपीलार्थी क्रमांक 01) और नूरताज (अपीलार्थी क्रमांक 02) के प्रकरण पर विचार किया जा रहा है । जहाँ तक, रसीदा बेगम (अपीलार्थी क्रमांक 01) की दोषसिद्धि का प्रश्न है, वह अपने मेमोरण्डम कथन प्रदर्श पी 15 के आधार पर प्रकरण में संलिप्त की गयी है, जिसमें उसने यह स्वीकार किया है कि उसके पति मदु मियां (अपीलार्थी क्रमांक 02), उसका पुत्र मुर्तजा अंसारी एवं पोता नूरताज (अपीलार्थी क्रमांक 02) तथा एक अन्य अयूब खान और मुबारक अंसारी, जो बंकिम मण्डल की हत्या एवं डकैती के प्रकरण में संलिप्त हैं और मृतक चूंकि उनके घर में काम करता था और वह डकैती और हत्या के मामले की जानकारी

रखता था, अतः इस आशंका में कि मृतक पुलिस के समक्ष उपरोक्त जानकारी को मृतक उजागर कर सकता है, उसका पति मदु मियां (अपीलार्थी क्रमांक 03) जहर लाया, जिसे उसने मृतक के खाने में मिलाकर खिलाया और मृतक को उसके घर तक छोड़कर आये । अगले दिन सुबह यह जानकारी मिली कि संजीवन उरांव की मृत्यु उनके द्वारा कराये गये जहर सेवन के कारण हुई है । अपीलार्थी 01 रसीदा बेगम के उपरोक्त मेमोरण्डम बयान के आधार पर एक गिलास वॉयल जिसमें 20 ग्राम कथित जहर विद्यमान था, जो मदु मियां (अपीलार्थी क्रमांक 03) के घर से जप्तीपत्रक प्रदर्श पी 16 के अनुसार जप्त किया गया था और इस सम्बन्ध में एफ० एस० एल० रिपोर्ट प्रदर्श पी 13 प्रमाणित हुई है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

29/ यद्यपि विद्वान विशेष न्यायाधीश ने रसीदा बेगम (अपीलार्थी क्रमांक 01) को उसके मेमोरण्डम कथन प्रदर्श पी 15 एवं जप्तीपत्रक प्रदर्श पी 16 के आधार पर दोषसिद्ध किया है, परन्तु उसने स्पष्ट रुप से अपने मेमोरण्डम में कथन किया है कि उसके पति मदु मियां (अपीलार्थी क्रमांक 03) द्वारा ही जहर लाया गया था, और उक्त जहर को मृतक को मदु मियां ने दिया था ।

30/ सर्वोच्च न्यायालय ने **"शरद विरदीचन्द्र शारदा विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य"** (1984) 4 एस० सी० सी० 116 में 05 स्वर्णिम सिद्धान्त जिन्हें पंचशील सिद्धान्त के नाम से जाना जाता है, को परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित तथ्य को प्रमाणित करने के लिए अवधारित किया है, जिनके अनुसार–

> "153. इस निर्णय का सूक्ष्म विश्लेषण यह दर्शाता है कि किसी अभियुक्त के विरुद्ध मामला पूर्णतः स्थापित होने से पहले निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी चाहिए:

(1) जिन परिस्थितियों से दोषसिद्धि का निष्कर्ष निकाला जाना है, वे पूरी तरह स्थापित होनी चाहिए।

(2) इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के दोषी होने की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए, अर्थात्, उन्हें अभियुक्त के दोषी होने के अलावा किसी अन्य परिकल्पना पर आधारित नहीं किया जाना चाहिए,

(3) परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए,

(4) उन्हें साबित की जाने वाली परिकल्पना को छोड़कर हर संभावित परिकल्पना को बाहर करना चाहिए, और

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(5) साक्ष्य की एक श्रृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि अभियुक्त की निर्दोषता के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न बचे और यह दर्शाना चाहिए कि सभी मानवीय संभावनाओं में यह कार्य अभियुक्त द्वारा ही किया गया होगा।"

31/ हमारे सुविचारित मतानुसार सिर्फ मेमोरण्डम और जप्ती के आधार पर, जिसे कि युक्तियुक्त सन्देह से परे प्रमाणित नहीं किया गया हो, और बिना किसी सम्पोषक साक्ष्य के रसीदा बेगम (अपीलार्थी क्रमांक 01) की दोषसिद्धि धारा 302/34 भारतीय दण्ड संहिता के तहत नहीं की जा सकती, विशेषकर तब, जबकि उसका प्रकरण परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित हो और अभियोजन द्वारा यह युक्तियुक्त सन्देह से परे प्रमाणित नहीं किया जा सका है। **"शरद विरदीचन्द्र शारदा"** (उपरोक्त) में दिये गये पंचशील सिद्धान्त सन्देह से परे प्रमाणित पाये गये हैं।

32/ अब, अपीलार्थीगण मदु मियां (अपीलार्थी क्रमांक 03) के प्रकरण के सम्बन्ध में विचार करें तो नूरताज (अपीलार्थी क्रमांक 02) के विरुद्ध

अभियोजन ने स्पष्ट रुप से हेतुक प्रमाणित किया है कि मदु मियां (अपीलार्थी क्रमांक 03) के अनुसार ही दोनों अपीलार्थी बंकिम मण्डल की हत्या के मामले में शामिल थे और उन्हें सन्देह था कि मृतक इस बात की जानकारी पुलिस को देगा, मदु मियां (अपीलार्थी क्रमांक 03) ने मृतक संजीवन उरांव को इस कारण जहर दिया। यद्यपि अभियोजन द्वारा हेतुक को स्थापित किया गया है, और यह भी प्रमाणित पाया गया है कि मदु मियां (अपीलार्थी क्रमांक 03) ने उक्त हेतुक को आगे बढ़ाने के सम्बन्ध में जहर लाकर संजीवन उरांव को दिया था, जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई । इसके अतिरिक्त अन्य संलिप्त करने वाले साक्ष्य मदु मियां (अपीलार्थी क्रमांक 03) के विरुद्ध नहीं है और यह स्थापित सिद्धान्त है कि यदि अपराध किये जाने का हेतुक प्रमाणित हो भी जाये तो, यह कमजोर प्रकृति का साक्ष्य होता है, हालांकि यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित प्रकरण में एक महत्वपूर्ण परिस्थिति हो सकती है, परन्तु हेतुक दोषसिद्धि का एकमात्र आधार नहीं हो सकता, अतः दोषसिद्ध अपीलार्थी/अभियुक्त नूरताज (अपीलार्थी क्रमांक 02) के विरुद्ध धारा 302/34 भारतीय दण्ड संहिता के तहत की गयी दोषसिद्धि यथावत रखा जाना सुरक्षित नहीं होगा ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

33/ उपरोक्तानुसार दोनों अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण रसीदा बेगम (अपीलार्थी क्रमांक 01) और नूरताज (अपीलार्थी क्रमांक 02) के विरुद्ध धारा 3(2)(5) अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दोषसिद्ध किया गया है, अतः चूंकि धारा 302/34 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप इन दोनों अपीलार्थीगण के विरुद्ध प्रमाणित नहीं पाये गये हैं, अतः धारा 3(2)(5) अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत उनकी दोषसिद्धि यथावत रखा जाना उचित नहीं होगा ।

निष्कर्ष –

34/ अपीलार्थी रसीदा बेगम (अपीलार्थी क्रमांक 01) और नूरताज (अपीलार्थी क्रमांक 02) की दोषसिद्धि अंतर्गत धारा 3(2)(5) अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम सहपठित धारा 302/34 भारतीय दण्ड संहिता को तदानुसार अपास्त करते हुए उन्हें उनके विरुद्ध अधिरोपित सभी आरोपों से दोषमुक्त घोषित किया जाता है । चूंकि यह दोनों अपीलार्थीगण पूर्व से जमानत पर हैं, अतः उन्हें समर्पण करने की आवश्यकता नहीं है । उनके जमानत एवं बंधपत्र धारा 437 अ दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान अनुसार निर्णय दिनांक से 06 माह तक प्रभावशली रहेंगे । अपीलार्थी/अभियुक्त मदु मियां (अपीलार्थी क्रमांक 03) के विरुद्ध की गयी धारा 302, 201 भारतीय दण्ड संहिता के तहत विशेष न्यायाधीश द्वारा की गयी दोषसिद्धि एवं दण्डादेश को यथावत रखा जाता है ।

35/ उपरोक्तानुसार दाण्डिक अपील क्रमांक 980/2011 स्वीकार की गयी, जबकि दाण्डिक अपील क्रमांक 1954/2017 खारिज की गयी ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-	सही/-
(संजय के. अग्रवाल)	**(राकेश मोहन पाण्डेय)**
न्यायाधीश	**न्यायाधीश**

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**